

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0 / एस0टी0एक्ट / अपर
जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लखनऊ ।

सत्र परीक्षण स0.0000540 / 2015

सरकार.....बनाम.....शोभित मौर्य आदि

आरोप

मैं, एस0ए0एच0रिजवी, विशेष न्यायाधीश, एस0सी0 / एस0टी0एक्ट, लखनऊ एतद्वारा आप **शोभित मौर्य एवं अनुज मौर्य** को निम्नलिखित आरोप से आरोपित करता हूँ:-

1. यह कि दिनांक 23/06/2013 को समय 23/06/13 स्थान बहद शहीद पथ, टी0पी0नगर थाना क्षेत्र सरोजनीनगर जिला लखनऊ में वादी मुकदमा अमित लाल जो अनुसूचित जाति का सदस्य है, को लात-घूसो से आप लोगो ने एक राय होकर अपने सामान्य उद्देश्य की पूर्ति मे मारपीट कर साधारण प्रकृति की चोटे पहुँचायी और इसप्रकार से उसके द्वारा आप लोगो ने एक ऐसा अपराध कारित किया जोकि भा0दं0सं0 की **धारा 323 सपठित धारा 34** के अधीन दंडनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।
2. यह कि उपरोक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर आप ने वादी मुकदमा अमित लाल जोकि अनुसूचित जाति का सदस्य है, को आप लोगो ने जाति सूचक गालियां देकर अपमानित किया और इसप्रकार से उसके द्वारा आप लोगो ने एक ऐसा अपराध कारित किया जोकि **भा0दं0सं0 की धारा 504** के अधीन दंडनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान मे है।
3. यह कि उपरोक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर आप लोगो ने वादी मुकदमा अमित लाल जोकि अनुसूचित जाति का सदस्य है, को जानमाल की धमकी दी और इस प्रकार आप लोगो ने उसके द्वारा एक ऐसा अपराध कारित किया जोकि **भा0दं0सं0 की धारा 506** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान मे है।
4. यह कि उपरोक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर आप वादी मुकदमा अमित लाल को यह जानते हुए कि वह अनुसूचित जाति का सदस्य है, लात-घूसो से मारपीट कर साधारण चोटे पहुँचायी व जाति सूचक गालियां देकर अपमानित किया व जानमाल की धमकी दी। इसप्रकार से उसके द्वारा आप लोगो ने एक ऐसा अपराध कारित किया जोकि **धारा 3(1)10 एस0सी0 / एस0टी0 एक्ट** के अधीन दंडनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

.2.

एतद्द्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप हेतु आप लोगों का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांक :19/03/2016

(एस0ए0एच0रिजवी),
विशेष न्यायाधीश,एस0सी0/एस0टी0एक्ट/
अपर सत्र न्यायाधीश,
लखनऊ।

अभियुक्तगण को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया जिससे उन्होंने इंकार किया तथा विचारण की याचना की।

दिनांक :19/03/2016

(एस0ए0एच0रिजवी)
विशेष न्यायाधीश,एस0सी0/एस0टी0एक्ट/
अपर सत्र न्यायाधीश,
लखनऊ।

अ0ज0

19.03.16

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0 / एस0टी0एक्ट / अपर
जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लखनऊ ।

सत्र परीक्षण स0:0000540 / 2015

सरकार

बनाम

शोमिभ मार्य आदि

19-03-2016

पुकारा गया। अभियुक्त **शोभित मौर्य व अनुज मौर्य** उपस्थित हैं।

अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना सरोजनीनगर द्वारा आरोप-पत्र अन्तर्गत धारा 323,504,506 भा0दं0सं0 व धारा 3(1)10 एस0सी0 / एस0टी0 एक्ट प्रस्तुत किया गया है।

आरोप के विन्दु पर विद्वान अभियोजन अधिकारी एवं अधिवक्ता अभियुक्तगण को सुना गया एवं पत्रावली का परिशीलन किया गया।

अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन अधिकारी ने न्यायालय के समक्ष पत्रावली पर उपलब्ध पर्याप्त अभिलेखीय साक्ष्य के आधार पर आरोप विरचित किये जाने पर बल दिया। इसके विपरीत अभियुक्तगण की ओर से कहा गया कि अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप विरचित किये जाने हेतु पर्याप्त साक्ष्य नहीं है। अतः उन्हें उन्मोचित किया जावे।

पत्रावली पर उपलब्ध पुलिस अभिलेखों से अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टया आरोप अन्तर्गत धारा 323 / 34,504,506 भादंसं0 व धारा 3(1)10 एस0सी0 / एस0टी0 एक्ट गठित होना प्रतीत होता है। अतः अभियुक्त पर उपरोक्त धाराओ में आरोप पृथक पत्र पर विरचित किया गया। अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया। उन्होंने आरोप अस्वीकार किया तथा परीक्षण चाहा।

अभियोजन साक्षी तलब हों। पत्रावली दिनांक 04 / 06 / 2016 को साक्ष्य हेतु पेश हो।

विशेष न्यायाधीश, एस0सी0 / एस0टी0एक्ट,
लखनऊ।

अ0ज0

19.03.16

